

कार्यालय-जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

निविदा/टैण्डर सूचना

जनपद न्यायालय मेरठ में विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में प्रयोग हेतु 45,000 फाईल कवरों को क्य किया जाना है।

उपरोक्त फाईल कवरों की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त फर्म एण्ड सोसाइटी द्वारा पंजीकृत फर्म से दिनांक-15.03.2018 को अपराह्न 12:00 बजे तक सील्ड व मुहर बन्द निविदांये/टैण्डर आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त फाईल कवरों की विशिष्टियां निविदा हेतु निर्धारित फार्म, निविदा की शर्त किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व नजारत अनुभाग मेरठ में 100/- रुपये अदा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा/टैण्डर फार्म के साथ जिला न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में देय कुल मूल्य मय जी०एस०टी व देय टैक्स यदि कोई देय हो, का 2 प्रतिशत अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में टैण्डर प्रस्तुत करने के समय दिनांक-15.03.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जायेगी और टैण्डर स्वीकृत होने पर फाईल कवरों के कुल मूल्य मय सभी कर का 10 प्रतिशत धरोहर/जमानत राशि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मेरठ के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक की मियादी जमानत रसीद के रूप में संबंधित फर्म द्वारा जमा किया जायेगा।

उपरोक्त फाईल कवरों की निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने के प्रयोजनार्थ विहित प्रारूप पर क्य आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त निविदांये दिनांक-15.03.2018 को 4:00 बजे अपराह्न क्य समिति के समक्ष तेरह न्यायालय भवन के मीटिंग हाल में खोली जायेगी। निविदांये खोले जाने के समय फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

उक्त सूचना एवं निविदा की शर्त माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट www.districtcourtmeerut.nic.in पर भी उपलब्ध है।

Niraj Kumar
 (नीरज कुमार बक्शी)
 सदस्य, क्य समिति/
 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं०-१० अपर जिला जज कक्ष सं०-१६
 मेरठ।

Sunitil Kumar
 (सुनील कुमार श्रीलक्ष्मन)
 सदस्य, क्य समिति/
 मेरठ।

Vinay Kumar
 (विनय कुमार द्विवेदी)
 अध्यक्ष, क्य समिति/
 विशेष न्यायाधीश (भ०नि०आधि०)
 मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

- 1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
- 2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।
- 3- नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 5- समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 6- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

निविदा की शर्तें

न्यायिक प्रतिष्ठान मेरठ के न्यायालयों एवं कार्यालयों के उपयोग हेतु 45,000 लीगल साईज (ए-5) (36x48cm) फाईल कवरों को उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त फर्म एण्ड सोसाइटी द्वारा पंजीकृत फर्म से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त फर्म एण्ड सोसाइटी द्वारा पंजीकृत फर्म से सीलबन्द निविदा निम्न शर्तों पर आमंत्रित की जाती है :-

- 1- निविदा की आपूर्ति किये जाने वाले फाईल कवरों की निर्माता फर्म का विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है एवं आपूर्ति हेतु प्रस्तावित फाईल कवरों की परिमाप, गुणवत्ता का स्पष्ट विवरण का उल्लेख एवं एक सैम्पल साईज संलग्न करना आवश्यक है।
- 2- सीलबन्द निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय दिनांक होना आवश्यक है। सीलबन्द निविदा में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 3- सीलबन्द निविदा में दरों का अंकन शब्दों तथा अंकों दोनों में किया जाये, साथ ही दर जी०एस०टी० यदि कोई देय हो एवं माल दुलाई भाड़ा सहित सम्मिलित की जायेगी।
- 4- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का वाणिज्य-कर कार्यालय/आयकर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और निविदादाता द्वारा ट्रेड-टैक्स/जी०एस०टी०/आयकर विभाग द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य है।
- 5- निविदा की आपूर्ति किये जाने वाले फाईल कवरों का मूल्य मय जी०एस०टी० यदि कोई देय हो, आपूर्ति किये जाने वाले फाईल कवरों का कुल मूल्य मय जी०एस०टी० अंकित करना अनिवार्य है, और उक्त कुल मूल्य मय जी०एस०टी० यदि कोई देय हो, के 2% धनराशि का ड्राफ्ट अग्रिम धनराशि के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में पृथक् सीलबन्द लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6- निविदा की सूचना के नियमानुसार जारी होने के बाद निविदा का फार्म निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व प्रत्येक कार्यदिवस में सायं 5:00 बजे तक जनपद न्यायालय मेरठ में नजारत अनुभाग से 100 रुपये अदा करके प्राप्त किया जा सकता है।
- 7- सीलबन्द निविदा एवं उसके साथ संलग्न सीलबन्द अग्रिम धनराशि दिनांक 15.03.2018 को दिन 12:00 बजे तक जनपद न्यायालय मेरठ के नजारत अनुभाग में प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 15.03.2018 को दिन में 12:00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं होगी। पंजीकृत डाक से निविदा प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निविदा मेरठ में प्राप्त हो जाये।
- 8- सीलबन्द उपरोक्त निविदाये दिनांक 15.03.2018 को सायं 4:00 बजे के बाद तेरह-कक्षीय न्यायालय भवन के मीटिंग कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहने की अपेक्षा की जायेगी।
- 9- निविदाओं को स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का अन्तिम अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 10- निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता/फर्म द्वारा अपेक्षित एवं वांछित गुणवत्ता की वस्तु की आपूर्ति निर्धारित अवधि के अन्दर किये जाने के सम्बन्ध में आपूर्ति किये जाने वाले फाईल कवरों के कुल मूल्य मय जी०एस०टी० यदि देय हो तो, की धन्नाधि 10 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफ्ट माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में जमानत के रूप में जमा करना होगा। उक्त जमानत की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मिनादी जमानत रसीद इत्यादि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सफल निविदादाता द्वारा न करने की स्थिति में उक्त जमानत की धनराशि और अग्रिम धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी। वांछित गुणवत्ता की वस्तु के निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने के बाद उनी गुणवत्ता एवं अन्य विशिष्टताओं के सम्बन्ध में वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें अवमुक्त किया जायेगा।
- 11- मानक एवं गुणवंता के अनुरूप निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाने के प्रयोजनार्थ क्रय आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रारूप में सफल निविदादाता/फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
- 12- निविदा स्वीकृत होने पर वांछित अनुदान की धनराशि की मांग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से की जायेगी और अनुदान प्राप्त होने पर क्रय आदेश जारी किया जायेगा। आपूर्ति किये जाने वाले फाईल कवरों की संख्या अनुदान पर आधारित होगी। जो घट-बढ़ सकती है।
- 13- आपूर्ति की गयी फाईल कवरों में कोई कमी पायी जाती है तो उसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पुनः आपूर्ति करनी होगी।

- 14— निविदाकर्ता में से जो भी निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तों में से किसी एक भी शर्त का पूर्ण नहीं करेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 15— आपूर्ति किये जाने वाले फाईल कवरों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया निविदा एवं उसके सम्बन्ध में निष्पादित किये जाने वाला अनुबन्ध फाईल कवरों की गुणवत्ता आपूर्ति आदि एवं अनुबन्ध एवं शर्तों का उल्लंधन के सम्बन्ध में समस्त विवादों को मध्यस्थ (आर्बाट्रेटर) को सन्दर्भित किया जायेगा। मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों के प्रार्थना पत्र पर महा-निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
- 16— निविदा में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान जैसे भाड़ा, आपूर्ति किये जाने वाली को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में देय नहीं होगा, कोई बीयर-टीयर देय नहीं होगा।
- 17— निविदा स्वीकार होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा माल का नमूना अवलोकनार्थ तुरन्त सिविल कोर्ट, मेरठ को उपलब्ध कराना होगा।

Niraj

(नीरज कुमार बक्शी)

सदस्य, कय समिति /

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं०-१० अपर जिला जज कक्ष सं०-१६
मेरठ।

(सुनील द्वारा श्रीमान्तक)

सदस्य, कथ समिति /

मेरठ।

Vinay Kumar Dixit

(विनय कुमार द्विवेदी)

अध्यक्ष, कय समिति /

विशेष न्यायाधीश (प्र०नि०अधि०)

मेरठ।

Approved
26/02/2010

Dist. Judge
Meerut.